फैक्स

गोपनीय

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ ।

परिपत्र संख्याः 16/2015

दिनांकः मार्च 08, 2015

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

आप अवगत हैं कि शासनादेश है कि सभी अधिकारी प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कम से कम अन्यथा 02 बजे तक कार्यालय में बैठेंगे, जनसामान्य से मिलेंगे तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे । मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है कि बहुत से अधिकारी पुलिस कार्यालय जाते ही नहीं हैं तथा जन सामान्य से भी नहीं मिलते हैं जिसके कारण पब्लिक को असुविधा होती है तथा वह अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के यहां पहुँचकर गुहार लगाते हैं । इस सम्बन्ध में आप सभी को पुनः यह सख्त हिदायत देना चाहता हूँ कि शासनादेशों का पालन करना आप सभी का कर्तव्य है तथा जनसामान्य की समस्याओं का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिये ।

2- यह भी संज्ञान में लाया जा रहा है कि बहुत से जनपदों के पुलिस अधीक्षक शुकवार को परेड पर नहीं जाते हैं तथा न ही अर्दली रूम करते हैं एवं न ही पुलिस लाइन का भ्रमण करते हैं । इसको मैं घोर अनियमितता की श्रेणी में रखता हूँ तथा जो भी जिले के प्रभारी ऐसा कर रहे हैं वह अपने कार्य के प्रति सचेत नहीं हैं । मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में अर्दली रूम के केस पुलिस लाइन्स में लम्बित पड़े हैं तथा उनमें मात्र चेतावनी देकर के खानापूरी की जा रही है । पुलिस अधीक्षक प्रभारी के मूल कर्तव्यों में यह कर्तव्य है तथा उसका पालन न करना विभाग के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है । पुलिस लाइन जनपदीय पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है तथा वहां पर मंगलवार, बुधवार तथा शुकवार की परेड का एक अलग महत्व है । इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि पुलिस लाइन में अनुशासन रहे वहां बड़ी संख्या में कर्मचारी निलम्बन की स्थिति में न पड़े रहें । बाहर से स्थानान्तरण पर आने वाले कर्मचारियों को तत्काल पुलिस लाइन से थाना आवंटित कर उनको रवाना करना पुलिस लाइन के स्टोर, मेस, बैरकों, क्वार्टर गार्ड इत्यादि का निरीक्षण एक प्रभारी पुलिस अधीक्षक का सबसे महत्वपूर्ण

कर्तव्य है । मैं मुख्यालय पर सूचना एकत्र करा रहा हूँ तथा ऐसे जनपदीय प्रभारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

3. अपराध पर नियन्त्रण हो, अपराधियों की जानकारी एवं अपराध का रहस्योद्घाटन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण बहुत से जघन्य अपराधों का अनावरण नहीं होता है, जिससे समाज में गलत सन्देश जाता है । एक-एक घटना की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर होनी चाहिये, जिससे कि शीघ्र से शीघ्र उसमें गिरफ्तारियां हों, व केस वर्क आउट हो सके ।

4- पुलिस की कार्य प्रणाली का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू निरोधात्मक कार्यवाही है, जिससे कि अपराध न होने पाये । इस पर भी समुचित बल नहीं दिया जा रहा है । इस पर बलपूर्वक कार्यवाही तब हो पायेगी जब पुलिस अधीक्षक व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को यह जानकारी हो कि किन-किन के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही होनी चाहिये । मेरे द्वारा अपराधों की समीक्षा कर कड़े पत्र भी निर्गत किये जा रहे हैं, जिनमें लापरवाही जनपदीय पुलिस की स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है ।

5- जनपदों में प्रति माह प्रथम सप्ताह में जनपदीय प्रभारी को अपराध गोष्ठी करनी चाहिये जिसके प्रारूप जनपद में हैं तथा वांछित अपराधियों की स्थिति, सम्मन वारण्ट का तामीला, निरोधात्मक कार्यवाही की स्थिति, कौन कार्य में कितना रूचि ले रहा है, किसके यहां अपराध वर्क आउट नहीं हो रहे हैं, किसका जबाब तलब करना है, किसको थाने के चार्ज से हटाना है, कौन-कौन थानाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी घटनाओं के अनावरण में पर्याप्त रूचि नहीं ले रहे हैं इत्यादि । इस अपराध गोष्ठी में विद्युत विभाग के अधिकारी, जी0आर0पी0 के थानाध्यक्ष इत्यादि भी बुलाये जाने चाहिये, जिनसे समन्वय स्थापित हो सके । आवश्कतानुसार जिलाधिकारी भी बैठक में रहें तथा वह भी जो निर्देश देना चाहें, उनका पालन कराया जाय, इससे जिले में एक अच्छा सन्देश जायेगा ।

6- हर कर्मचारी की बीट बुक होना चाहिये तथा उनकी जबाबदेही बीट में होने वाले अपराधों के लिये सुनिश्चित की जानी चाहिये । कर्मचारियों को क्षेत्र के प्रति, वहां रहने वाले लाइसेन्सियों, ग्राम प्रधानों, ग्राम चौकीदारों इत्यादि सबकी जानकारी होनी चाहिये तथा ग्राम चौकीदारों के पास भी हल्के के आरक्षियों, उप निरीक्षकों तथा थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी के नम्बर होने चाहिये जिससे कि तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके । प्रत्येक कर्मचारी के वर्क रोल का रजिस्टर बनना चाहिये कि उन्होंने पूरे माह में क्या कार्य किया या

कुछ नहीं किया । इससे एक दबाव बनेगा तथा हर कर्मचारी अपराध नियन्त्रण में योगदान देगा । ग्राम चौकीदारों, होमगार्डों से भी काम लिया जाय तथा उनका भी उत्तरदायित्व सिपाहियों के साथ निर्धारित किया जाय ।

7- पुलिस का जनता से सीधा सम्वाद होना चाहिये क्योंकि जब पुलिस की विश्वसनीयता पब्लिक की निगाह में रहती है तो गुण्डों, अपराधियों पर नियन्त्रण में बड़ी मदद मिलती है । इस विश्वसनीयता की जो कमी हो रही है उसको हमें पुनः अर्जित करना है । कृपया पुलिस जनता संवाद, पुलिस मित्र, विशेष पुलिस अधिकारी, ग्राम सुरक्षा समिति, मोहल्ला सुरक्षा समिति, ट्रैफिक वार्डन आदि माध्यमों से अमन कमेटी, आर0डब्ल्यू0ए0 के माध्यम से जनता को साथ लेकर अपराधियों पर नियन्त्रण के लिये प्रयास किये जाने चाहिये, जिसका कई जनपदों में अभाव दिख रहा है । कई जनपदों में पुलिस अधिकारी व थानाध्यक्ष जनता से बिल्कुल कटे हुये हैं तथा उनसे ठीक से बात करना भी अपना दायित्व नहीं समझते हैं जो कि नितान्त दुभाग्यपूर्ण है ।

8- महिला पुलिस का सदुपयोग किया जाय तथा लड़कियों के स्कूलों, कालेजों में उनकी डियुटी लगायी जाय तथा महिलाओं सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिये अत्यन्त कड़े कदम उठाये जाने चाहिये । लड़कियों के स्कूलों के आसपास मोटरसाइकिल मोबाइल, महिला पुलिस की तैनाती से समाज को एक अच्छा सन्देश जायेगा । महिलाओं व बच्चियों के साथ यदि कोई अपराध घटित हो जाता है तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनमें कार्यवाही होनी चाहिये ।

9- जो जनता के व्यक्ति, विभिन्न समितियों के सदस्य पुलिस का सहयोग करते हों, उनको सार्वजनिक रूप से सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिये इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी ।

10- मैं आप सभी व फोर्स से अपेक्षा करता हूँ कि आप निष्पक्ष होकर न्याय का कार्य करें एवं किसी के दबाव में अपराधियों को बख्शें नहीं अन्यथा पुलिस की छवि धूमिल होगी । जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी शिकायतें की जाती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सुना जाय व गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही करें, परन्तु कोई भी दोषी बचने न पाये ।

11- कोई भी पुलिस के कर्मचारी यदि जनता का उत्पीड़न कर रहे हों, शराब पीकर सम्मानित व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पूर्णतः भ्रष्ट होने की छवि के कर्मचारियों को तत्काल स्थानान्तरित कराया जाना चाहिये । उचित होगा कि उनका स्थानान्तरण विवरण मुझे सीधे प्रेषित कर दिया जाय यदि जोन स्तर

पर व परिक्षेत्र स्तर पर न हट पा रहे हैं । ऐसे सभी कर्मचारियों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

12- भ्रष्टाचार को लेकर शीर्ष स्तर से यह आदेश प्राप्त हुये हैं कि उन थानों के खिलाफ कार्यवाही हो, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जो भ्रष्ट हों व शासन की छवि धूमिल करते हैं । बदायूँ के कुछ प्रकरण सबके संज्ञान में है, जिनसे छवि धूमिल हुई है ।

13- मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि पुलिस की छवि को उज्ज्वल करें । पुलिस सड़कों पर, चौराहों पर, संवेदनशील स्थानों पर, मिश्रित आबादी के इलाकों में नजर आये, जिससे जनता में विश्वास बढ़े तथा अपराधियों के साथ सख्ती का व्यवहार व सम्भ्रान्त व्यक्तियों, महिलाओं व बच्चों के साथ मानवीयता का व्यवहार यदि पुलिस करना प्रारम्भ कर देगी तो स्वत: पुलिस की छवि में माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार सुधार हो जायेगा ।

14- थानाध्यक्ष थानों में मासिक निरीक्षण अपने हस्तलेख में नहीं लिख रहे हैं इसको सुनिश्चित करायें ।

15- क्षेत्राधिकारी अपराध रजिस्टर एवं एस0आर0 फाइल स्वयं अपने हस्तलेख में नहीं लिख रहे हैं, इसको भी सुनिश्चित करायें ।

16- कई अधिकारियों की खुलेआम भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं यह निन्दनीय है तथा इसकी भर्त्सना की जानी चाहिये तथा ऐसे अधिकारियों पर बड़ी कड़ी निगरानी होनी चाहिये तथा पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी यदि पाते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो तो रिपोर्ट भेजें जिससे कार्यवाही की जा सके । किसी भी जनपदीय पुलिस अधीक्षक का यदि थाने पर नियन्त्रण नहीं है, उसके स्टाफ पर नियन्त्रण नहीं है तो पुलिस की व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी ।

17- कृपया उपरोक्त पर सख्ती से अमल करें एवं मेरे इन आदेशों को नीचे तक कृपया पहुँचायें । मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसमें सहयोग करेंगे एवं प्रदेश की कानून-व्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने में शासन की अपेक्षानुसार कार्यवाही सम्पन्न करेंगे ।

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपिः समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों को उपरोक्त आदेशों का अपने-अपने जोन व परिक्षेत्र में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।